संख्या– 2888 / II–2004–03–(06) / 2003

प्रेषक,

बी0आर0टम्टा,
उप सचिव,
उत्तरॉचल शासन ।

सेवा में,

अधीक्षण अभियन्ता,
लघु सिंचाई मण्डल,
पौड़ी।

सिंचाई विभाग, देहरादून, दिनांक, 24 अगस्त, 2004

विषयः– वित्तीय वर्ष 2004–05 में आयोजनेत्तर मद में धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, वित्त उत्तरांचल शासन के पत्र सं0–554 / वि0अनु0–1 / 2004 दिनांक 30.07.2004 शासनादेश सं0 1377 / ।।–2004–03 (06) / 03 दिनांक 21.04.2004 एवं अपके पत्र सं0 256 / ल0सिं0 / बजट / 04–05 दिनांक 31.07.2004 सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्नक में वर्णित लेखाशीर्षक के अन्तर्गत लघु सिंचाई विभाग की गूलो के अनुरक्षण में योजना के लिए आयोजनेत्तर पक्ष में रूपये 66.67 लाख (रूपये छासठ लाख सड़सठ हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैः–

1– सम्बन्धित धनराशि का व्यय केवल चालू कार्यो के विरूद्ध ही किया जायें, एवं केवल उन्ही योजनाओं के अन्तर्गत किया जाय जिनके लिए यह स्वीकृति जारी की जा रही है, तथा जिन योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त है धनराशि के अनयत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहेंगे । कार्यवार फांट की सूचना शासन को भी उपलब्ध कराई जाय।

2– व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। निर्माण कार्य पर व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों / पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ–साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की तकनीकी स्वीकृति भी अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

3– किसी भी शासकीय व्यय हेतु भण्डार क्रय प्रक्रिया, स्टोर पर्चेज रूल्स वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1, वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम–1, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5, भाग–।। लेखा नियम–1, आय व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियमों शासनादेशों आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायें। यह भी उल्लेखनीय है कि शासन के व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक

है। अतः व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4– जहां आवश्यक हो, कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूगर्भ वैज्ञानिक से उपयुक्तता के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कर ली जायें, तथा कार्यो के सम्बन्ध में यथोचित भूकम्प निरोधी तकनीकी का प्रयोग किया जाय।

5– इस धनराशि का आहरण दो किस्तों में किया जायेगा। द्वितीय किस्त तब ही अवमुक्त की जायेगी जब प्रथम किस्त के द्वारा स्वीकृत धनराशि का 80 प्रतिशत तक उपयोग कर लिया गया हो। उक्त अवमुक्त की जा रही धनराशि के 80 प्रतिशत तक की धनराशि के उपयोग के उपरान्त तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही आगामी किस्त अवमुक्त की जायेगी।

6– स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह के अन्त में नियमानुसार निर्धारित तिथि तक महालेखाकार उत्तरांचल एवं वित्त विभाग कों उपलब्ध कराया जाये।

7– कार्यो की गुणवता एवं समय बद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

8– अनुरक्षण हेतु योजनाओं का चयन लाभार्थी ग्राम सभा की संस्तुति एवं योजना की प्रार्थमिकता निर्धारित करते हुए अनुरक्षण किया जाय।

9– अनुरक्षण मानकों के अनुरूप किया जायेगा और इसके आंगणन लो0 नि0 वि0 की दरों पर गठित कर उन पर सक्षम तकनीकी अधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

10– स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण यथा आवश्यकता से किया जायेगा।

11– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–20 के अन्तर्गत में लेखाशीर्षक 2702–लघु सिंचाई–01–सतही जल–आयोजनेत्तर–101–जलटंकी–07–गूलों का अनुरक्षण–01–अनुरक्षण कार्य–29–अनुरक्षण के नामे डाला जायेगा।

उक्त आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या–87/वि0 अनु0–3/2004 दिनांक 23 अगस्त, 2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नः–यथोक्त।

भवदीय,

(बी0आर0टम्टा)
उप सचिव।

संख्या–2888 / II–2004–03–(06) / 2003 / तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उत्तरांचल, देहरादून।
2– महालेखाकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़, देहरादून।
3– वित्त अनुभाग–3, उत्तरांचल शासन।
4– समस्त कोषाधिकारी,, उत्तरांचल।
5– समस्त जिलाधिकारी उत्तरांचल।
6– निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री उत्तरांचल।
7– नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तरांचल शासन।
8– अधिशासी निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तरांचल शासन।
9– निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10– गार्ड फाईल ।

संलग्नकः–यथोक्त।

(बी0 आर0 टम्टा)
उप सचिव।

MIC -434

शासनादेश सं0 2888/ I I–2004–03 (06)/03 दिनांक 24 अगस्त 2004 का संलग्न।

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0सं0	जनपद का नाम	धनराशि
1	देहरादून	7.44
2	टिहरी	7.40
3	उत्तरकाशी	7.40
4	पौड़ी	12.60
5	रूद्रप्रयाग	3.95
6	चमोली	5.64
7	नैनीताल	5.47
8	अल्मोड़ा	5.47
9	पिथौरागढ़	5.00
10	बागेश्वर	3.20
11	चम्पावत	3.10
	योग–	66.67

(रूपये छासठ लाख सड़सठ हजार मात्र)

(बी0 आर0 टम्टा)
उप सचिव।